पत्र संख्या– 4/पी3–10–03/2016 गृ0आ0

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0)
बिहार, पटना।

पटना,दिनांक 2016

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित द्वाराः– X वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषयः– **बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के गठन के फलस्वरूप आयोग को सौंपे गये कार्यो एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु आयोग में अध्यक्ष, सदस्य एवं अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के कुल 46 (छियालीस) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

राज्य सरकार बिहार के अधीन समूह 'ग' के गृह विभाग (आरक्षी शाखा) एवं अन्य विभागों के पद जिनके लिये शारीरिक माप/जाँच या दक्षता परीक्षण अनिवार्य है एवं ऐसे अन्य पदों के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु ''बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग'' का गठन अधीनियम द्वारा किये जाने हेतु राज्य विधान मंडल में दिनांक 31 मार्च 2016 को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग विधेयक– 2016 पारित किया गया है और बिहार अधिनियम संख्या 6, 2016 के रूप में अधिनियमित किया जा चुका है।

(2) ''बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग'' अधिनियम, 2016 की धारा– 3 के अनुसार आयोग का गठन एक अध्यक्ष एवं चार सदस्यों से हुआ है उक्त अधिनियम की धारा– 7 के अनुसार आयोग के कार्य के संचालन हेतु अधिनस्थ पदाधिकारियों एवं कमचारियों की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जानी है।

(3) ''बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को सौंपे गये कार्यो एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु आयोग में अध्यक्ष, सदस्यों, अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के कुल 46 (छियालीस) पदों के निम्न रूप से सृजन की स्वीकृति दी जाती हैः–

आयोग

1.	**अध्यक्ष–**	**1 पद–**	राज्य सरकार के गृह विभाग (आरक्षी शाखा) द्वारा पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के सेवानिवृत्त अथवा सेवारत पदाधिकारी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त/नामित किया जायेगा।
2.	**सदस्यः–**	4 पद	(I) राज्य सरकार का गृह विभाग (आरक्षी शाखा), पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप– महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक स्तर के आरक्षी शाखा के सेवानिवृत्त या सेवारत दो अधिकारियों को सदस्य के रूप में नियुक्त/नामित करेगा। **(II)** उक्त दो सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष द्वारा ''सदस्य–सचिव'' के रूप में नामित किया जायेगा। **(III)** राज्य सरकार का गृह विभाग (आरक्षी शाखा) अन्य विभागों यथा गृह विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, परिवहन विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून स्तर के अधिकतम 2 (दो) सदस्य नामित करेगा। उपर्युक्त 4 (चार) सदस्यो में से कम से कम एक सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय एवं एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के होगें।

कुल– 5

अधीनस्थ पदाधिकारी / कर्मचारीः–

3.	सचिव (बिहार प्रशासनिक सेवा के विशेष सचिव स्तर के पदाधिकारी)	1 पद	वेतनमान 37400–67000 (ग्रेड पे–10000)
4.	अपर सचिव (बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी)	2 पद	वेतनमान 37400–67000 (ग्रेड पे–8900)
5.	उप सचिव (बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी)	2 पद	वेतनमान 15600–39100 (ग्रेड पे–6600)
6.	प्रशाखा पदाधिकारी	4 पद	वेतनमान 9300–34800 (ग्रेड पे–4800)
7.	सहायक	22 पद	वेतनमान 9300–34800 (ग्रेड पे–4600)
8.	निजी सहायक	6 पद	वेतनमान 9300–34800 (ग्रेड पे–4600)
9.	उच्च वर्गीय लिपिक	2 पद	वेतनमान 5200–20200 (ग्रेड पे–2400)
10.	निम्न वर्गीय लिपिक	2 पद	वेतनमान 5200–20200 (ग्रेड पे–1900)

आयोग के उपर्युक्त बिन्दु तीन से दस तक के अधीनस्थ पदाधिकारियों / कर्मचारियों की सेवा संबंधित संवर्गो से गृह विभाग को पदस्थापन के माध्यम से दी जा सकेगी।

(4). **"बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग"** के गठन के फलस्वरूप आयोग को सौंपे गए कार्यो एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु उपर्युक्त कंडिका 3 में उल्लिखित कुल **46 पदों** का सृजन किया जाता है।

(5). उपर्युक्त प्रस्तावित पदों के सृजन पर होने वाले आकलित आवर्त्तक वार्षिक व्यय **2,84,60,700 / – (दो करोड़ चौरासी लाख साठ हजार सात सौ) रूपये** मात्र है। इस आवर्त्तक व्यय का वहन मुख्य शीर्ष– 2055–पुलिस उप मुख्य शीर्ष– 00 लघु शीर्ष– 001–निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष–0001–अधीक्षण एवं विपत्र कोड–N2055000010001 है।

(6). इसमें वित्त विभाग एवं मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0 / –

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 4 / पी3–10–03 / 2016 गृ0आ0 / पटना,दिनांक

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 4 / पी3–10–03 / 2015 गृ0आ0 / 8425 पटना,दिनांक 21/10/16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना / बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना / अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना / आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.10.16

सरकार के अवर सचिव